न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :—श्री कल्पित शिवरान आर0ए0एस

प्रक0नं0 — 61/2025

प्रार्थी :—

1. शिशपाल पुत्र श्री आसराम जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।

:—प्रार्थी

बनाम्

1. पृथ्वीसिंह पुत्र आसराम जाति जाट साकिन खचवाना तहसील भादरा।
2. धर्मपाल पुत्र आसराम जाति जाट साकिन खचवाना तहसील भादरा।
3. मदन पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
4. रणधीर पुत्र झमनलाल जाति जाट निवासी खचवाना तहसील भादरा।
5. पंजाब नेशनल बैंक शाखा नेठराना जरिऐ शाखा प्रबन्धक।
6. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा भादरा जरिऐ शाखा प्रबंधक
7. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार राजस्व भादरा

:—अप्रार्थीगण

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए आरटीएक्ट सपठित</u>
<u>धारा 8(2) राज0 कॉल0 एक्ट</u>

उपस्थिति :—श्री श्रवण सहारण प्रार्थी
श्री श्रवण सहारण—II अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला-हनुमानगढ़

निर्णय दिनांक: 15·09·2025

संक्षेप में प्रार्थना के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक चक 5 डीपीएन के खाता सं. 101/97 के मु० नं0 68 के किला नं. 1, 9 ता 12, 19 ता 22 की कुल 2.277 हैक्टर नहरी कृषि भूमि प्रार्थी के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है एवं चक 5 डीपीएन के खाता सं. 47/41 के मु० नं0 62 के किला नं. 24, 25/1, 25/2 मु० नं0 67 के किला नं. 4/1, 4/2, मु० नं0 68 के किला नं. 16, 17, 18, 23, 24, 25 की कुल 2.277 हैक्टर नहरी मय खाला व रास्ता खातदोरी कृषि भूमि अप्रार्थी धर्मपाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। चक 5 डीपीएन के खाता सं. 30/28 के मु० नं० 69 के किला नं. 1 ता 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, की कुल 2.314 हैक्टर नहरी कृषि भूमि प्रार्थी व अप्रार्थी सं. 1 व 2 के भाई झमनलाल के नाम राजस्व रिकॉर्ड में खातेदारी दर्ज है एवं चक 5 डीपीएन के खाता सं. 83/2 के मु० नं0 61 के किला नं. 21 ता 24, मु० नं0 68 के किला नं. 2 की कुल 1.265 हैक्टर नहरी कृषि भूमि प्रार्थी शिशपाल एवं अप्रार्थी पृथ्वीसिंह, मदन एवं रणधीर के नाम संयुक्त खाता में खातेदारी दर्ज है।

यह कि पक्षकारान एक ही परिवार के सदस्य है व आपस में भाई भतीजे हैं। हमारी कृषि भूमियों में आने—जाने के लिए सदामत से चक 5 डीपीएन के मु० नं0 62 के किला नं. 21 ता 25 मु0 नं0 61 के किला नं. 21, 22 मु० नं० 68 के किला नं. 2, 9, 12, 19, 22 प्रत्येक किला में एक—एक बिस्वा रास्ता सदामत से चालू है और काम में लेते आ रहे है लेकिन मु० नं0 62 के किला नं. 23 तक रास्ता पूर्व में राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृतशुदा है लेकिन उससे आगे का रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में स्वीकृत नहीं होने के कारण हम पक्षकारान को काफी कठिनाईयों का सामना करना पडता है एवं रास्ता राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज नही होने की वजह से विवाद की स्थिति बनी रहती है। लिहाजा प्रार्थना—पत्र पेश करने की यही मूल कारण है। यह कि प्रार्थी न्यायालय से यह घोषणा करवाने का अधिकारी है कि चक 5 डीपीएन के खाता सं. 47/41 के मु0 नं0 62 के किला नं. 24 व 25/1, 25/2 चक 5 डीपीएन के खाता सं. 83/2 के मु0 नं0 61 के किला नं. 21 व 22 में दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम एक—एक बिस्वा चौडाई में प्रत्येक चारो किलों में रास्ता एवं इसी चक 5 डीपीएन के खाता सं. 83/2 के मु0 नं0 68 के किला नं. 2 एवं चक 5 डीपीएन के खाता सं. 101/97 मु0 नं0 68 के किला नं० 9, 12, 19, 22 प्रत्येक पांचो किलो में पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 15:14:29 IST
Reason: SelfAttested

अधिकारी (राजस्व) भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

एक बिस्वा चौडाई में रास्ता स्वीकृत करवाकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में रास्ता का दर्ज करवाना चाहता है।

प्रार्थना पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये सम्मन किया गया। सम्मन तामिल होने के बाद प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी सं0 1 ता 4 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया तथा अप्रार्थी 5 व 6 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई तथा प्रतिवादी संख्या 7 की ओर से जवाब पेश किया गया।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। मुताबिक राजीनामा के चक 5 डीपीएन के खाता सं. 47/41 के मु० नं0 62 के किला नं. 24 व 25/1, 25/2 एवं चक 5 डीपीएन के खाता सं. 83/2 के मु0 नं0 61 के किला नं. 21 व 22 में दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम एक–एक बिस्वा चौडाई में प्रत्येक चारो किलों में रास्ता एवं इसी चक 5 डीपीएन के खाता सं. 83/2 के मु0 नं0 68 के किला नं. 2 एवं चक 5 डीपीएन के खाता सं. 101/97 के मु0 नं0 68 के किला नं0 9, 12, 19, 22 प्रत्येक पांचो किलो में पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण एक–एक बिस्वा चौडाई में रास्ता स्वीकृत किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाना चाहते है इस हेतु प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण सहमत है। उक्त किलाजात में राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत नहीं होने से प्रार्थीगण का अपनी खातेदारी में आवागमन करने में परेशानी का सामना करना पड़ता है। प्रार्थीगण रास्ता की एवज की भूमि के लिए राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 251 ए की पालना के लिए तत्पर व तैयार है उक्त धारा के अनुसार भूमि देने हेतु तत्पर व तैयार है। इसलिए प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन है।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व राजीनामा में प्रार्थी चक चक 5 डीपीएन के खाता सं. 47/41 के मु० नं0 62 के किला नं. 24 व 25/1, 25/2 एवं चक 5 डीपीएन के खाता सं. 83/2 के मु0 नं0 61 के किला नं. 21 व 22 में दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम एक–एक बिस्वा चौडाई में प्रत्येक चारो किलों में रास्ता एवं इसी चक 5 डीपीएन के खाता सं. 83/2 के मु0 नं0 68 के किला नं. 2 एवं चक 5 डीपीएन के खाता सं. 101/97 के मु0 नं0 68 के किला नं0 9, 12, 19, 22 प्रत्येक पांचो किलो में पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण एक–एक बिस्वा चौडाई में रास्ता किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में अंकन करवाना चाहते है एवं प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण हेतु सहमत एवं रजामंद है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र प्रार्थी मुताबिक राजीनामा स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 251 क आरटीएक्ट उपरोक्त विवेचानुसार मुताबिक राजीनामा स्वीकार किया जाकर तहसीलदार भादरा को आदेशित किया जाता है कि वे रोही मौजा चक चक 5 डीपीएन के खाता सं. 47/41 के मु० नं0 62 के किला नं. 24 व 25/1, 25/2 एवं चक 5 डीपीएन के खाता सं. 83/2 के मु0 नं0 61 के किला नं. 21 व 22 में दक्षिणी तरफ पूर्व से पश्चिम एक–एक बिस्वा चौडाई में प्रत्येक चारो किलों में रास्ता एवं इसी चक 5 डीपीएन के खाता सं. 83/2 के मु0 नं0 68 के किला नं. 2 एवं चक 5 डीपीएन के खाता सं. 101/97 के मु0 नं0 68 के किला नं0 9, 12, 19, 22 प्रत्येक पांचो किलो में पूर्वी तरफ उत्तर से दक्षिण एक–एक बिस्वा चौडाई में रास्ता स्वीकृत किया जाता है एवं इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में दुरूस्त किया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Kalpit Shivran
Date: 2025.09.24 15:14:29 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 15.09.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(कल्पित शिवरान)
R.A.S.
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़